सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2017/317**

दायर दिनाँक **20.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोतीलाल पुत्र श्री रामेशवर राम , उम्र–58 साल, जाति माली , निवासी दयालपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी हेतु
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री दानाराम भाटी , अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **12.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दयालपुरा में खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। वादी का सही नाम मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम जाति माली है तथा समस्त राजकीय दस्तावेंजों में जैसे परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड बैंक पासबुक आदि समस्त दस्तावेजों में मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम दर्ज है। जबकि राजस्व अधिकारीयों की भूल सहवन व अज्ञानता के कारण ग्राम दयालपुरा में खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि खेत खातेदारी में वादी का नाम मोतीराम पुत्र रामेश्वर दर्ज हो गया। इसकी जानकारी वादी को राजकीय वितिय सहायता मुआवजा व किसान केडिट कार्ड योजना के लाभ उदेशय से खैतोनी की नकल दिंनाक 14.11.2017 को प्राप्त करने पर हुई।

वादी का नाम समस्त राजकीय दस्तावेंजों में मोतीलाल पुत्र रामेश्वरररराम दर्ज है। जबकि जमाबन्दी में मोतीराम पुत्र रामेश्वर दर्ज है। इस प्रकार नाम में भिन्नता व समान नाम न होने के कारण अनेकानेक कठिनाईयों व परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा नहीं कोई किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त होती है बल्कि दिक्कते कठिनाईयां होती है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक होने के कारण वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत है।

वादी स्वयं व पिता का जमाबन्दी में मोतीराम पुत्र रामेश्वर दर्ज है जबकि वादी का सही नाम मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम है। इसलिए वादी स्वयं व वादी के पिता का नाम मोतीराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम घोषित किया जाना आवश्यक होने के कारण वाद बाबत घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/317
दायर दिनाँक 20.11.2017, निर्णय दिनाँक 12.01.2017
मोतीलाल बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि:–

(क) ग्राम दयालपुरा में खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी में वादी का नाम मोतीराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम नाम रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें।

(ख) ग्राम दयालपुरा में खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी वादी मोतीराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम नाम से राजस्व रेकर्ड खेत की खातेदारी में घोषित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्कम विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कि गई। दिनांक 12.01.2018 को प्राप्त रिपार्ट निम्नानुसार है:–

1. ग्रान दयालपुरा में जमाबन्दी संवत 2072– 75 में खाता सं.298 पर मातीराम पुत्र रामेश्वर कौम माली साह देह खातेदार दर्ज है। खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि बारानी प्रथम दर्ज है।
2. आधार कार्ड में मोती लाल पुत्र रामेश्वरराम दर्ज है।
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में मोती लाल पुत्र रामेश्वर राम दर्ज है एंवम राशन कार्ड एंवम पी.एन.बी शाखा ललासरी में प्रार्थी का नाम मोती लाल पुत्र रामेश्वर राम दर्ज है।

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्तसम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके ग्राम दयालपुरा में खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी में वादी का नाम मोतीराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम दुरूस्त किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 12.01.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/317** दायर दिनाँक **20.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोतीलाल पुत्र श्री रामेशवर राम उम्र–58साल, जाति माली, निवासी दयालपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी हेतु
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

दिनाँक **12.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दानाराम माटी, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके ग्राम दयालपुरा में खेत खसरा नम्बर 767/365 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी में वादी का नाम मोतीराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रामेश्वरराम दुरूस्त किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........–......... मुबलिंग..........–.......... बाबत..............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........–........ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–317–2017/रीडर/2018/186 दिनाँक 7/3/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी हेतु
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोतीलाल पुत्र श्री रामेशवर राम ,उम्र–58साल, जाति माली , निवासी दयालपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner